

रिपोर्ट पटवारी संख्या/आडोएल03000
आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जारी की गई। निम्नानुसार

पौरख प्रशासन गाँवों के सगं अभियान 2021

श्रीमान, पौख द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, शपथ-पत्र, आध्याय कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व मूल्य प्रमाण-पत्र के आधार पर पौख की माल का नाम गोविन्द कंवर के अजाय गेन्दकंवर पति नारायण सिंह किया जाना उचित होगा।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागोंडजी

दिनांक :-

क्रमांक : राजस्व/2020/

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है, उचित नहीं है। आवेदक का नाम गुरुनारायण सिंह की अभियान की जाती है की जाती है।

~~उत्तर~~ किया जाना उचित है।

23/11/2021

तहसीलदार (गु.अ.)
उदयपुरवाटी/गुढागोंडजी

1537
23/11/21

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)
-- आदेश :-

दिनांक :- 23.11.2021

प्राथी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार (गु.अ.) उदयपुरवाटी/गुढागोंडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नांकित रूप से सुद्ध किया जाकर तहसीलदार (गु.अ.) उदयपुरवाटी/गुढागोंडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिव्य जाते है।

क्र.सं.	ग्राम	जमावन्दी संवत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
01	पौरख	2075-78	479	गोविन्द कंवर पति नारायण सिंह	गेन्दकंवर पति नारायण सिंह

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी तथा यदि उत्तम भूमि रहना हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक - 23/11/21

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 1223-1221

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (गु.अ.) उदयपुरवाटी/गुढागोंडजी को जारी पालनाथ।
2. प्राथी/प्रार्थना ... श्री श्री सिंह उ. नारायण सिंह राजपुर को सूचनाथ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी